2016 का परिपत्र सं. 25

फा सं : 142/8/ 2016- टी पी एल
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय,
राजस्व विभाग,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टी पी एल डिवीज़न)
***

दिनांक 30 जून, 2016

आय घोषणा योजना, 2016 के संबंध में स्पष्टीकरण

आय घोषणा योजना, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'योजना' के रूप में उल्लिखित) जिसे वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय IX के तौर पर सम्मिलित किया गया है, उन व्यक्तियों को आगे आने और अपनी अघोषित आय की घोषणा करने तथा घोषित की गई उक्त अघोषित आय का कुल 45% कर, अधिभार तथा शास्ति (Penalty) के रूप में अदा करने का अवसर प्रदान करती है जिन्होंने पूर्व में पूर्ण कर का भुगतान नहीं किया है । आय घोषणा योजना नियम, 2016 (यहां इसके पश्चात् 'नियमावली' के रूप में उल्लिखित) अधिसूचित किए जा चुके हैं । इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं 17/2016, दिनांक 20.05.2016 तथा परिपत्र सं. 24/2016, दिनांक 27.06.2016 द्वारा क्रमश: 14 व 11 प्रश्नों का समाधान किया गया था । तत्पश्चात, जनता की ओर से इस योजना के बारे में और अधिक प्रश्न पूछें गए हैं, जिन पर बोर्ड ने विचार करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए हैं -

प्रश्न सं 1 : क्या घोषणा के अधीन दी गई जानकारी अन्य कानूनों को लागू करने वाली (Law Enforcement) संस्थाओं के साथ भी साझा की जाएंगी ?

उत्तर : नहीं । घोषणा में दी गई जानकारी अन्य किसी कानूनों को लागू करने वाली (Law Enforcement) संस्थाओं के साथ साझा नहीं की जाएगी। मान्य घोषणा के संबंध में किसी जांच के लिए यह जानकारी आयकर विभाग में भी साझा नहीं की जाएगी ।

प्रश्न सं 2: क्या सेवाकर, वैट, कंपनी अधिनियम, सेबी अधिनियम व विनियम आदि सहित अन्य आर्थिक कानूनों के अधीन उन्मुक्ति (immunity) प्रदान की जाएगी ?

उत्तर : इस योजना के तहत आयकर अधिनियम, 1961; धनकर अधिनियम 1957 तथा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 से उन्मुक्ति (immumity) प्रदान की जाएगी । बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 से उन्मुक्ति इस शर्त के अधीन की जाएगी कि अधिकतम

30 सितम्बर, 2017 तक संपत्ति घोषणाकर्ता (संपत्ति की खरीद के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति के तौर पर) के नाम हस्तांतरित कर दी जाए । फिर भी जैसा उपर्युक्त प्रश्न सं. 1 के स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है; इस योजना के तहत दी गई जानकारी अन्य किसी कर या कानून लागू करने वाली (Law Enforcement) संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी ।

प्रश्न सं 3 : ***यदि आई डी एस नियमों के नियम 3 के अधीन निर्धारित की गई अचल संपत्ति का मूल्य आयकर अधिनियम की धारा 50C , या धारा 43CA में उल्लिखित स्टॉम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा आकलित या निर्धारिता निर्धारण योग्य मूल्य से कम हो तो, संपत्ति का मूल्य आई डी एस नियमों के नियम 3 के अनुसार मान्य होगा या धारा 50C/ 43 CA के?***

उत्तर: ऐसे मामलों में घोषणा के प्रयोजन के लिए संपत्ति का मूल्य आई डी एस नियमों के नियम 3 के अनुसार संगणित किया जाएगा चाहे ऐसा मूल्य स्टॉम्प मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई, निर्धारित या निर्धारण योग्य मूल्य से कम हो ।

प्रश्न सं 4 : ***क्या घोषित की गई आय पर काटे गए कर (यदि हो तो) पर क्रेडिट दिया जाएगा ?***

उत्तर : हाँ; केवल उन्हीं मामलों में काटे गए कर का क्रेडिट दिया जाएगा जिनमें इस योजना के अंतर्गत संबंधित आय की घोषणा की गई है तथा किसी निर्धारण वर्ष के लिए दाखिल की गई आय की विवरणी में इस कर के क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है ।

प्रश्न सं 5 : ***आई डी एस नियमों के साथ पढ़े जाने वाले योजना के प्रावधानों के अधीन मूल्यांकन करने और वैध घोषणा करने पर तथा योजना के अनुसार निर्धारित कर, अधिभार और शास्ति (Penalty) की राशि का भुगतान करने पर, क्या विभाग आय के स्रोतों, कर, अधिभार तथा शास्ति की अदायगी के संबंध में कोई पूछताछ करेगा?***

उत्तर : नहीं ।

प्रश्न सं 6 : ***फॉर्म 1 के अनुलग्नक की सारणी के अंतिम कॉलम के मद (I) में "अघोषित आय का स्वरूप" संबंधी जानकारी प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है?***

उत्तर : "अघोषित आय का स्वरूप" से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयोजन यह जानना है कि अघोषित आय किस रूप में है - चल आस्ति, अचल आस्ति, सोना, गहने या नकद. यहाँ "आय का स्वरूप" का आशय "आय का स्रोत" बिल्कुल नहीं है । आय का स्रोत बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । "अघोषित आय का स्वरूप" नामक स्तंभ में केवल नाम, जैसे - 'अचल संपत्ति', 'चल संपत्ति', 'सोना', 'आभूषण' या नकद आदि का ही उल्लेख करना है. इससे करदाता को योजना के तहत घोषित आय तथा ऐसी अघोषित आय से संबंधित भविष्य में दाखिल होने वाली विवरणी में किए गए दावे (यदि हों तो) या किसी भी निर्धारण प्रक्रिया में तारतम्यता स्थापित करने में सहायता मिलेगी ।

प्रश्न सं 7 : अचल संपत्ति के मामले में उसके रजिस्टर्ड डीड में दर्शाया गया मूल्य या दिनांक 01.06.2016 को उस अचल संपत्ति का बाज़ार मूल्य - दोनों में से कौन से मूल्य की घोषणा की जाएगी ?

उत्तर : आई डी एस नियमों के नियम 3 के अनुसार अचल संपत्ति के अधिग्रहण मूल्य और दिनांक 01.06.2016 को खुले बाज़ार में बेचने पर सामान्य रूप से प्राप्त होने वाली राशि में से अधिक राशि को उस अचल संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य माना जाएगा । रजिस्टर्ड डीड में उल्लिखित मूल्य से अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण हो सकेगा और इसे तभी उचित बाज़ार मूल्य माना जा सकता है अगर यह राशि, दिनांक 01 जून 2016 को संपत्ति को खुले बाज़ार में बेचे जाने पर सामान्य रूप से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो ।

प्रश्न सं 8 : यदि इस योजना के तहत, अघोषित आस्ति में निवेश की घोषणा की जाती है; तो क्या ऐसी घोषणा के संबंध में आस्ति के विक्रेता से कोई जांच/ पूछताछ की जाएगी ?

उत्तर : नहीं

प्रश्न सं 9 : पहले की अघोषित आय को चालू वर्ष की आय दर्शाते हुए निर्धारण वर्ष 2017-18 की आयकर विवरणी में घोषित करने की तुलना में इस योजना के क्या लाभ हैं? विभाग यह कैसे पता लगा सकता है कि अघोषित आय किस वर्ष में अर्जित की गई थी?

उत्तर : इस बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :-

- पहले की अघोषित आय को चालू वर्ष की आय दर्शाने का अर्थ आयकर विवरणी का झूठा सत्यापन है, जिसके लिए आयकर अधिनियम के अधीन अभियोजन किया जा सकता है।
- यदि कोई पहले की अघोषित आय को वर्तमान वर्ष की आय दर्शाने का प्रयास करता है तो उसे ऐसी आय का स्रोत बताना आवश्यक होगा और ऐसी आमदनी को अर्जित करने का प्रमाण देना होगा । जबकि, इस योजना के तहत घोषित की जाने वाली आय के लिए आय का स्रोत बताने की कोई आवश्यकता नहीं है.
- पूर्व वर्षों की अघोषित आय को चालू वर्ष की आय में दर्शाना पहले के वर्षों में खरीदी गई आस्ति को उचित नहीं सिद्ध कर सकता, न ही उसके लिए कोई उन्मुक्ति (Immunity) प्रदान करता है।
- आयकर विभाग को विविध स्रोतों जैसे कि सम्पत्ति रजिस्ट्रार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंज, कर कटौतीकर्ता आदि से बड़े पैमाने पर सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विभाग ने ' प्रोजेक्ट इनसाइट ' (Project Insight) के रूप में एक व्यापक डाटा- विश्लेषण तथा अनुपालन प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। यह करदाताओं द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेनों तथा जिस वर्ष में लेन देन किया गया है उस के बारे में बड़े पैमाने पर विश्वसनीय सूचनाएं तैयार करेगा।

प्रश्न सं. 10 : ***किसी मामले में घोषणाकर्ता ने पूर्व वर्ष 2010-11 में 90 लाख रुपए की अघोषित आय अर्जित की हो। जिसमें से, उसने पूर्व वर्ष 2011-12 के दौरान 50 लाख रुपए की अचल सम्पत्ति अर्जित की, लगभग 20 लाख रुपए अपने निजी खर्चों पर व्यय किए तथा शेष 20 लाख रुपए उसके पास 01.06.2016 को नकद उपलब्ध राशि के रूप में बची। अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 01.06.2016 को 80 लाख रुपए है। कौन सी राशि इस योजना के अंतर्गत घोषित की जानी है?***

उत्तर : घोषणाकर्ता को इस मामले में निम्नलिखित घोषणा करनी होगी :

(I) दिनांक 01.06.2016 को अचल संपत्ति का उचित बाज़ार मूल्य 80 लाख रुपए

(II) दिनांक 01.06.2016 को 20 लाख रुपए की नकद उपलब्ध राशि

(III) अघोषित आय का शेष 20 लाख रुपए {रु.90 लाख -(रु.50 लाख + रु.20 लाख)} जिसे किसी परिसम्पत्ति में निवेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार इस मामले में घोषित की जाने वाली कुल अघोषित आय 1.20 करोड़ रुपए होगी।

प्रश्न सं. 11 : ***किसी व्यक्ति ने पूर्व वर्ष 2010-11 में अपनी अघोषित आय का निवेश एक गृह संपत्ति में किया जो किराये पर नहीं दी गई। व्यक्ति ने घोषित स्रोतों से एक अन्य गृह संपत्ति भी खरीदी, जिसे उन्होंने गृह संपत्ति से आय शीर्ष के अंतर्गत आय की संगणना के उद्देश्य से स्वः अधिकृत बताया। यदि व्यक्ति अपनी अघोषित गृह संपत्ति की घोषणा दिनांक 01.06.2016 के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर करता है तो क्या आयकर अधिनियम की धारा 23(4)(b) में दिए गए प्रावधान के अनुसार उसे पिछले वर्षों में किराए पर दी गई संपत्ति मानते हुए गृह संपत्ति से आय के रूप में अघोषित संपत्ति के वार्षिक मूल्य को कर दायरे में लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी?***

उत्तर : नहीं, फिर भी, जहां गृह संपत्ति को संबंधित अवधि के दौरान किराए पर दिया गया था, उससे वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा प्राप्य योग्य किराए को गृह संपत्ति की दिनांक 01.06.2016 को उचित बाजार मूल्य के अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत घोषित किया जाना अपेक्षित होगा।

(डॉ. टी.एस.मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>प्रतिलिपि प्रेषित -</u>

1. वित्त मंत्री के निजी सचिव/ वित्त मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/ राज्य मंत्री (राजस्व) के विशेष कार्य अधिकारी ।
2. सचिव (राजस्व) के निजी सचिव ।
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव व उससे ऊपर के स्तर के सभी अन्य अधिकारीगण ।
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/ प्रधान आयकर महानिदेशक को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने क्षेत्र/ प्रभार के सभी अधिकारियों में परिचालित करवाएं।
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी) / प्रधान आयकर महानिदेशक (विधि एवं अनुसंधान)
6. आयकर आयुक्त (एम व टी.पी.), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
7. विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु वेब मेनेजर को ।